न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज इन्द्राज ....बनाम............ राज. सरकार मु.नं.– 58/21 किस्म – T.D.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58/2021	21.09.2021	28.08.2025

बउनवान

1. इन्द्राज पुत्र सोलर, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. चिरमौली पुत्र छोटक्या, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. नाहरसिंह पुत्र रामप्रसाद, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
4. बाबूलाल पुत्र सोलर, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
5. मुड्या पुत्र छोटक्या, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
6. मन्नीराम पुत्र खिलारी, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
7. मुरारी पुत्र छोटक्या, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
8. रतनलाल पुत्र काल्या, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
9. रमेश पुत्र सोलर, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
10. रामकरण पुत्र काल्या, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
11. सीताराम पुत्र रामप्रसाद, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
12. हरकेश पुत्र खिलारी, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
13. रामप्रताप पुत्र मट्ठू, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
14. रामस्वरूप पुत्र मट्ठू, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
15. मनोहरी पुत्र कौर्या, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
16. मंगल्या पुत्र थाना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
17. मीठा पुत्र थाना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
18. विजेन्द्र पुत्र मूल्या, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
19. केसन्ती पत्नी सुवालाल, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बनवारी पुत्र खैराती, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. श्रीमन पुत्र खैराती, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री गिर्राज प्रसाद सैन।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खेवट खतौनी सं. नई 102 पुरानी 98 का खसरा सं. 203 रकबा 0.12 हैक्टे., 213 रकबा 0.27

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हैक्टे., 214 रकबा 0.26 हैक्टे. एवं खाता सं. नया 118 पुराना 114 का खसरा सं. 161 रकबा 0.37 हैक्टे. एवं खाता सं. नया 84 पुराना 78 का खसरा सं. 163 रकबा 0.27 हैक्टे., 4081/160 रकबा 0.04 हैक्टे., खाता सं. नया 81 पुराना 73 का खसरा सं. 164 रकबा 0.59 हैक्टे., 193 रकबा 0.15 हैक्टे., 4082/160 रकबा 0.04 हैक्टे., खाता सं. नया 128 पुराना 121 का खसरा सं. 212 रकबा 0.20 हैक्टे. एवं खाता सं. नया 16 पुराना 16 के खसरा सं. 4080/160 रकबा 0.06 हैक्टे. ग्राम बडाबास बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि अर्सो दराज सैकडों वर्षों से चली आ रही है और प्रार्थीगण उक्त भूमि में काश्त कर उससे लाभान्वित होते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 का विवादित आराजीयात से कोई सरोकार कभी नहीं रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने राजस्व अधिकारियों से साज करके प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि विवादित आराजीयात में होकर बिना किसी अधिकार व औचित्य के व बिना किसी न्यायालय के आदेश के प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी के भूमि के बीच में होकर बिना प्रार्थीगण की सहमति के, बिना प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सूचना दिये नया रास्ता कायम करवा लिया जबकि नक्शा ट्रेस संवत् 2003 तक उक्त भूमि में होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था और आज भी मौके पर रास्ता नहीं है लेकिन विपक्षी सं. 2 व 3 ने राजस्व अधिकारियों से साँठ–गाँठ करके बाला बाला बिना प्रार्थीगण को कोई सुनवायी का मोका दिये व बिना प्रार्थीगण की जानकारी में दिये सम्वत् 2016–2017 के मध्य नक्शा ट्रेस में गलत तरीके से रास्तों का इन्द्राज कर दिया और उसके बाद हाल सैटलमेंट संवत् 2050 में उक्त रास्ते का खसरा सं. 204, 205, 206, 207 कायम कर दिया जबकि आज भी मोके पर प्रार्थीगण की भूमि के बीच में होकर कोई रास्ता नहीं है। विपक्षी सं. 2 व 3 ने राजस्व अधिकारियों से नाजायज तरीके से साज करके संवत् 2016–2017 के मध्य बनाये गये नक्शों में इन्द्राज करवाया है। कानूनन किसी भी खातेदार की भूमि को रास्ते में अवाप्त करने या अन्य किसी कार्य के लिये अवाप्त करने से पूर्व खातेदार को सूचना देकर उसकी सहमति से ही रास्ता कायम किया जा सकता है। विपक्षी सं. 2 व 3 ने अपने खेत खसरा सं. 172 में आने–जाने के लिये राजस्व अधिकारियों से मिलकर जो रास्ता निकाला है, वह कानून के विपरीत है। इस कारण प्रार्थीगण हाल नक्शा ट्रेस जिसमें खसरा सं. 204, 205, 206, 207 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराया है जिसमें प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि चली गयी और प्रार्थीगण को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण ग्राम बडाबास बालाहेडा के नक्शा ट्रेस व राजस्व अधिकारियों ने विपक्षी सं. 2 व 3 से साज करके सम्वत् 2016 में रास्ता दर्शित किया है व हाल खसरा सं. 204, 205, 206, 207 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराया है जिसे हजफ कराकर प्रार्थीगण पूर्व का नक्शा सम्वत् 2003 के मुताबिक दुरुस्ती करवाने के अधिकारी है और सम्वत् 2003 के नक्शे के मुताबिक ही राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती की डिक्री अपने हक में करवाने का अधिकारी है। विपक्षी सं. 2 व 3 इस गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुये प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात में होकर जबरन, ट्रेक्टर, हल, बैल, जानवर आदि लाने, ले जाने को प्रयत्नशील हो रहे है व ऐलानिया कह रहे हैं कि अब हम नक्शा ट्रेस से हमारे द्वारा करवाये गये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात को बर्बाद करके रहेंगे एवं प्रार्थीगण की फसल को जानवरों से नुकसान कराकर प्रार्थीगण को बर्बाद करके रहेगें। दिनांक 30.06.2020 को जब प्रार्थीगण भूमि मुतदाविया में अपनी बोयी हुयी फसल की देखरेख कर रहे थे कि विपक्षी सं. 2 व 3 अपने साथ काफी लोगों को लेकर हथियारों से लैस होकर जबरन ट्रेक्टर चलाकर रास्ता निकालने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की कोशिश की। प्रार्थीगण व अन्य उपस्थित लोगों ने बड़ी मुश्किल से विपक्षीगण को रोका लेकिन विपक्षीगण ऐलानिया कह गये हैं कि मोका लगते ही नक्शा ट्रेस व गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात के मध्य होकर रास्ता कायम करके रहेगें। अगर विपक्षीगण अपने नाजायज मक़सद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को नुकसाने अजीम नाकाबिले तलाफी एवं तायून होगा व मुकदमों का बाहुल्य हो जायेगा जो बाय से बर्वादी प्रार्थीगण होगी। प्राइमा–फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के सिद्धान्त बमुकाबिले विपक्षीगण, प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि दावा विपक्षी सं. 2 व 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि उन्होनें जो राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ करके गुप–चुप तरीके से नक्शा ट्रेस में जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराया है, उसके मुताबिक प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा सं. 161, 163, 164, 193, 203, 212, 213, 214, 4080/160, 4081/160, 4082/160 स्थित ग्राम बडाबास बालाहेडा के मध्य होकर प्रार्थीगण की भूमि को बर्बाद इरादे करते हुये अपने हल, बैल, ट्रेक्टर, ट्रक, जानवर आदि लाने, ले जाने से व विवादित आराजीयात के मध्य रास्ता काम करने से व रामस्वरूप प्रार्थीगण की फसल व उनकी विवादित आराजीयात को बर्बाद करने से स्वयं या अपने नौकरों, एजेन्टों, घरवालों के अस्थायी तौर पर प्रतिबन्धित रहे एवं विवादित आराजीयात को सम्वत् 2003 के नक्शा ट्रेस के मुताबिक स्थिति कायम रखे व इस अमर से बाज व मुमतनाह रहे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। प्रार्थी सं. 18 विजेन्द्र के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 29.07.2020 को प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के प्रार्थना पत्र में मौके पर रास्ता निकाला जा रहा है। इसलिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध अविलम्ब स्थगन आदेश जारी किये जायें जिस पर सुनवाई की जाकर इस प्रार्थना पत्र को ख़ारिज किया गया।

3. नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थीगण ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। विवादित आराजीयात की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजीयात खसरा सं. 161, 163, 164, 193, 203, 212, 213, 214, 4080/160, 4081/160, 4082/160 के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र बाबत दुरुस्ती नक्शा ट्रेस तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। खसरा सं. 204, 205, 206, 207 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है जिसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा जारी किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय वाद पत्र में साक्ष्य उपरान्त ही गुणावगुण पर किया जाना संभव होगा। इसलिये खसरा सं. 161, 163, 164, 193, 203, 212, 213, 214, 4080/160, 4081/160, 4082/160 के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम बडाबास, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 161, 163, 164, 193, 203, 212, 213, 214, 4080/160, 4081/160, 4082/160, के सम्बन्ध में, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात खसरा सं. 161, 163, 164, 193, 203, 212, 213, 214, 4080/160, 4081/160, 4082/160 के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)